मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/5821/NR-3/MGNREGA-MP/10 भोपाल, दिनांक 07/06/2010/05/2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला पंचायत — ..... समस्त मध्यप्रदेश।

विषयः ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना के अन्तर्गत वाक थ्रू सर्वे बाबत् ।

संदर्भः म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 3282 दिनांक 01.04.2010 (परिपत्र क्रमांक 3)

—00—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना के वाक थ्रू सर्वे हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त पत्र की कण्डिका 3 में वाक थ्रू सर्वेक्षण वीडियोग्राफी, सैम्पल एकत्रित करने हेतु एक मजदूर की मजदूरी आदि पर प्रत्येक कार्य हेतु राशि रू. 750/– (सात सौ पचास रूपये) तक की अधिकतम सीमा में व्यय करने हेतु लेख किया गया है।

अधिकांश जिलों द्वारा बतलाया गया कि प्रत्येक सड़क के वाक थ्रू सर्वेक्षण की राशि व्यय की सीमा रूपये 750/– कम है। अतः विचारोपरांत वाक थ्रू सर्वे हेतु पी.एम.यू. को राशि रूपये 750/– प्रति कि.मी. सड़क की लम्बाई के मान से व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह राशि पी.एम.यू. को उपलब्ध कराए गए प्रशासनिक मद से व्यय की जावेगी।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/5822/NR-3/MGNREGA-MP/10 भोपाल, दिनांक 07/06/2010/05/2010

प्रतिलिपि–

1. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन भोपाल।
4. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल ..... (समस्त) ।
7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त ।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना ..... ।
8. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू ..... समस्त।
9. कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त की ओरसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग